

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट सलेमगढ़)

1. गुरभीतसिंह पुत्र हरजिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. हरजीतसिंह पुत्र हरजिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर:-117/2017
अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए
निर्णय दिनांक:-11.6.2018

वादी की ओर से करनैलसिंह एडवोकेट व प्रतिवादी की ओर से महावीर प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी के नाम से चक नं0 13 जीजीआर के खाता सं0 6/133 में प0न0 193/274 मु0 13 किला नं0 24,25 कुल 0.506 है0 अनकमाण्ड भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं0 13 जीजीआर के खाता सं0 6/133 में से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 11.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत सलेमगढ़ में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील		0	जोड़	0

